

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2800/2020

बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, दाहोद रोड, बांसवाड़ा (राजस्थान)।  
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. भारत संघ-वित्त मंत्रालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्लॉट नंबर 168- 172, सेक्टर 4, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)।
3. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, 14, हुडको विशाला बिल्डिंग, बी विंग, 6<sup>वीं</sup> मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-111006।

----प्रत्यर्थी

---

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजीव जौहरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शुभंकर जौहरी और श्री ललित परिहार द्वारा सहायता प्रदान की गई।  
प्रत्यर्थी की ओर से : श्री राजवेन्द्र सारस्वत  
श्री प्रमोद पंवार

---

माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

निर्णय

निर्णय आरक्षित करने की तिथि : 13/02/2023

निर्णय उच्चारित करने की तिथि : 01/02/2023

रिपोर्टेबल

माननीय मेहता, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक और आवश्यक संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं।
2. अपीलार्थी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी होने के नाते भारत के बाहर के देशों में मानव निर्मित धागे के निर्यात के व्यवसाय में लगी हुई है। इसने वर्ष 2016 में इसके द्वारा निर्यात की गई 7 अलग-अलग खेपों पर उत्पाद शुल्क में छूट की मांग की। मांगी गई छूट में फैक्ट्री गेट हटाने के बाद से निर्यात बंदरगाह तक के शुल्क शामिल थे। प्रश्नगत माल के परिवहन के बाद, रिट अपीलार्थी ने निर्णायक प्राधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रभाग, चित्तौड़गढ़ को अलग-अलग छूट के दावे प्रस्तुत किए। छूट आवेदन दायर करते समय, अपीलार्थी ने आयुक्त (अपील), सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4666(AK)CE/JPR/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2016 का उल्लेख किया और प्रार्थना की कि एफओबी मूल्य से मालभाड़ा/बीमा/टीएचसी की कटौती किए बिना छूट का दावा स्वीकार किया जाए। पार्टियों के बीच विवाद की जड़ यह थी कि हटाने की जगह को फैक्ट्री का गेट माना जाए या निर्यात का बंदरगाह। सहायक आयुक्त ने दिनांक 01.07.2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के छूट दावों को स्वीकार कर लिया।
3. सहायक आयुक्त ने आवेदन स्वीकार करते समय, अपीलार्थी के मामले में आयुक्त (अपील) द्वारा दिनांक 30.03.2016 को पारित पहले के आदेश पर भरोसा किया और माना कि निर्यात के बंदरगाह को हटाने का स्थान माना जाना था और तदनुसार, छूट के दावे स्वीकार कर लिए गए और अपीलार्थी के पक्ष में सेनवैट क्रेडिट खाते में 5,944/- रुपये जमा करने के साथ-साथ 13,00,485/- रुपये की राशि छूट के रूप में स्वीकृत की गई। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 से व्यथित होकर, विभाग ने आयुक्त (अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जोधपुर के समक्ष अपील दायर की, जिसे दिनांक 26.10.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलों को खारिज करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया, जिसके तहत,

समान मुद्दे से जुड़े संशोधन को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि निर्यात के मामले में, हटाने का स्थान निर्यात का बंदरगाह बनें न कि फैक्ट्री का गेट। यह माना गया कि 'बिक्री' तब पूरी होती है जब माल खरीदार को सौंप दिया जाता है। इसलिए, निर्यात के मामले में, बिक्री तब संपन्न होगी जब माल बंदरगाह पर शिपिंग लाइन को सौंप दिया जाएगा। अपीलीय प्राधिकारी ने बोर्ड के दिनांक 28.02.2015 के परिपत्र पर भी भरोसा किया, जिसमें यह स्पष्ट/निर्देशित किया गया था कि निर्माता निर्यातक द्वारा निर्यात के लिए माल की निकासी के मामले में, हटाने का स्थान पोर्ट/आईसीडी/सीएफएस होगा। दिनांक 26.10.2017 के आदेश द्वारा अपनी अपीलों की अस्वीकृति से व्यथित होकर, विभाग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35EE के तहत केंद्र सरकार को संशोधन आवेदन भेजा, जिसे दिनांक 19.12.2019 के आदेश (अनुलग्नक-पी/1) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसे अपीलार्थी कंपनी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई इस रिट याचिका का विरोध किया गया है।

4. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता श्री शुभंकर जौहरी की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव जौहरी ने आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने (2015)8 एससीसी 229 में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। और आग्रह किया कि वर्तमान विवाद उपरोक्त निर्णय द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णायक रूप से निर्धारित किया है कि विक्रेता से खरीदार तक माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में निर्धारक कारक माल की बिक्री अधिनियम, 1930 (इसके बाद '1930 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को लागू करके जांच की जानी है। खरीदार को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करने से पहले किए गए सभी शुल्क मूल्यांकन में शामिल किए जाने हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.02.2015 का परिपत्र यह स्पष्ट करता है कि निर्यात के मामलों में, संपत्ति का हस्तांतरण उस बंदरगाह पर होता है जहां निर्यातक द्वारा माल वितरित किया जाता है, शिपिंग बिल दाखिल किया जाता है और इस तरह, हटाने का स्थान होगा बंदरगाह हो। उन्होंने तर्क दिया कि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि बिक्री उसी क्षण समाप्त हो गई जब माल कारखाने से बाहर चला गया, अवैध है और माल की बिक्री अधिनियम 1930 के प्रावधानों,; आयुक्त, सीमा

शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 28.02.2015 और 08.06.2018 के परिपत्र के विपरीत है।

5. इसके विपरीत, विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र सारस्वत ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने आग्रह किया कि 2015 और 2018 के परिपत्र अपीलार्थी को किसी भी तरह से मदद नहीं करते हैं क्योंकि वही सौदा सेनवैट क्रेडिट से संबंधित है, जबकि मौजूदा मुद्दा उत्पाद शुल्क पर छूट के संबंध में है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाया और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उलटने में बिल्कुल उचित था क्योंकि निर्यातित माल को हटाने का स्थान निस्संदेह फैक्ट्री गेट होगा और निर्यातित माल का लेन-देन मूल्य कारखाने के गेट पर मूल्य होगा, न कि निर्यात के बंदरगाह पर। उन्होंने इस प्रकार आग्रह किया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2019 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, रिट याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

6. हमने न्यायालय में दी गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 19.12.2019 के आदेश, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के साथ-साथ दिनांक 28.02.2015 और 08.06.2018 के परिपत्रों को देखा है और न्यायालय में दिए गए निर्णय का हवाला दिया गया।

7. समाधान के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया संक्षिप्त प्रश्न निर्यात किए जाने वाले माल के मामले में बिक्री के बिंदु/हटाने के स्थान के बारे में है। यह कहना पर्याप्त होगा कि माल की बिक्री अधिनियम, 1930 के प्रावधान इस मुद्दे को नियंत्रित करेंगे। जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है तो निर्धारक कारक को 1930 के अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में माना जाना चाहिए जैसा कि आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था। मामले में प्रचलित तथ्यों के अनुसार, विचाराधीन माल एक बंदरगाह से निर्यात किया गया था। इस प्रकार,

निस्संदेह, माल का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जैसे ही शिपिंग बिल दाखिल किया जाएगा और माल शिपिंग लाइन को सौंप दिया जाएगा। इस लेनदेन से पहले किसी भी समय, निर्माता के पास माल को अपने पास रखने/वापस बुलाने या किसी अन्य वांछित तरीके से सामान का सौदा करने का विकल्प होगा। इस प्रकार, निर्यात आदेश/बिक्री तभी फलीभूत/पूरी होगी जब माल शिपिंग लाइन को सौंप दिया जाएगा, उसके बाद निर्यातक का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस मुद्दे को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 के परिपत्र के पैरा संख्या 6 में विधिवत स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:-

“निर्माता निर्यातक द्वारा निर्यात के लिए माल की निकासी के मामले में, निर्माता निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल दायर किया जाता है और माल शिपिंग लाइन को सौंप दिया जाता है। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद, माल को विदेशी खरीदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शिपिंग लाइन की होती है, जबकि निर्यातक का माल पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का हस्तांतरण उस बंदरगाह पर हुआ है जहां निर्माता निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल दाखिल किया गया है और हटाने का स्थान यह पोर्ट/आईसीडी/सीएफएस होगा। कहने की जरूरत नहीं है, सेनवैट क्रेडिट की पात्रता तदनुसार निर्धारित की जाएगी।”

8. श्री सारस्वत का यह तर्क कि यह परिपत्र केवल सेनवैट क्रेडिट से संबंधित है और इस प्रकार, उत्पाद शुल्क दावे के मामलों में इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में, निर्माता निर्यातक की पात्रता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक चाहे वह सेनवैट क्रेडिट का हो या उत्पाद शुल्क छूट का, बिक्री का बिंदु होगा। आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से मौजूदा विवाद स्पष्ट रूप से कवर हो गया है:

“13. इस प्रकार, कानून का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। यह देखा जाना चाहिए कि बिक्री किस समय पर की जाती है, चाहे वह फैक्ट्री गेट पर हो या बाद के समय में, अर्थात् जब माल की डिलीवरी खरीदार को उसके परिसर में की

जाती है। इस पहलू को माल की बिक्री अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू करके देखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि माल में स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को कब स्थानांतरित किया जाता है। जो शुल्क जोड़े जाने हैं, वे उस स्वामित्व के हस्तांतरण के चरण तक पहुंच गए हैं, क्योंकि एक बार जब माल में स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है, तो उसके बाद होने वाला कोई भी व्यय खरीदार के खाते में होगा और वह एक घटक नहीं हो सकता है जो होगा खरीदार द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यांकन का पता लगाते समय शामिल किया गया। यह स्पष्ट अर्थ है जिसे मूल्यांकन नियमों के साथ पठित धारा 4 में निर्दिष्ट किया जाना है।”

9. उपरोक्त निर्णय के आलोक में ही बोर्ड ने दिनांक 08.06.2018 को परिपत्र जारी किया। श्री सारस्वत का यह तर्क कि अपीलार्थी दिनांक 08.06.2018 के परिपत्र के मद्देनजर दावा की गई राहत का हकदार नहीं है, निराधार है क्योंकि उक्त परिपत्र में, हटाने के स्थान के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांतों को अपवादों के साथ उजागर किया गया है जो पैरा संख्या 4 पर अंकित है जो निर्यात के मामले से संबंधित है। मौजूदा मामला भी माल के निर्यात का ही है। इस पहलू पर दो राय नहीं हो सकती कि निर्यात के मामले में, माल शिपिंग लाइन को सौंपने के बाद बिक्री पूरी हो जाएगी क्योंकि उस समय तक लेनदेन पूरा नहीं होगा। अपीलीय प्राधिकारी ने, विभाग की अपीलों को खारिज करते हुए, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 04.03.2009 और 20.02.2009 के निर्णयों पर ध्यान दिया, जिससे उत्पाद शुल्क छूट मामलों में, समान दृष्टिकोण अपनाया गया। विभाग की अपीलें खारिज कर दी गईं और अभिनिर्धारित किया गया कि हटाने का स्थान निर्यात का बंदरगाह है।

10. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा दृढ़ मत है कि आयुक्त (अपील) द्वारा की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.02.2015 का परिपत्र सेनवैट क्रेडिट के लाभ के लिए प्रतिबंधित नहीं है और उत्पाद शुल्क छूट पर भी लागू होगा, तथ्यों और कानून के आधार पर पर सही व्याख्या है। इस प्रकार, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.2019 को पारित आदेश जांच के दायरे में नहीं आता है और इसे उलट

[2023/RJJD/003469]

दिया जाता है और अपास्त किया जाता है। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 01.07.2016 आदेश और आयुक्त (अपील) द्वारा पारित दिनांक 26.10.2017 के आदेश की पुष्टि की जाती है।

11. तदुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

12. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), न्यायमूर्ति

(संदीप मेहता), न्यायमूर्ति

2-Tikam/-

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।